(7)

मु.नं.–01/2021 GCMS ID-2021/2 ता.रजु–05.01.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

केवलचंद मीना पुत्र श्रीकिशन मीना, निवासी परमेश्वर नगर, प्रभु की बगिया के सामने, मसूदा रोड, ब्यावर, जिला अजमेर राज. – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2021, 02.03.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी किये गये थे जिनको सहायक अभियंता, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, नांगल शेरपुर द्वारा नोटिस जारी किये थे। उन नोटिसों पर हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम को अंतरित किया जाना चाहिये था, जो प्रत्यर्थी द्वारा अंतरित नहीं किया गया। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम को अंतरित कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करें।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली